राजस्व लोक अदालत केम्प बागावास तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा न0 51/2018

वादीगण :–ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम जाति सुथार निवासी दुर्गापुरा

बनाम

प्रतिवादीगण :– जरिये तहसीलदार पचपदरा

2018/00799

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक:–07.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत बागावास में प्रस्तुत की गई है।

वादीनी ने वाद पत्र में सक्षिप्त प्रकरण रूप से जाहिर किया कि ग्राम दुर्गापुरा के विवादित ख0न0, 419, 421 में कुल रकबा 195.06 बीघा भूमि मे खातेदार दस्तावेज मे ओमाराम पुत्र मोहनराम दर्ज जो गलत नाम है । जब कि राजस्व रेकर्ड अन्य सरकारी दस्तावेज में मेरे ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम दर्ज है। जो राजस्व रेकर्ड मेरे नाम ओमाराम की जगह सही व शुद्व नाम ओमप्रकाश करने का निवेदन किया है ।

जिस पर उपस्थित ब्यान कर्ता लखाराम, मोहनराम, जसाराम पुत्र मोडूराम, ने अपने बयानों मे जाहिर किया की मौजा दुर्गापुरा के ख0न0, 419, 421 में कुल रकबा 195.06 बीघा वादी का नाम ओमाराम पुत्र मोहनराम है। जबकि सही नाम ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम है। उक्त वाद पत्र के संबंध मे पटवारी/आरआई/ की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई। आधार कार्ड, भामाशाह की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/आरआई/ की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम दुर्गापुरा के ख0न0, 419, 421 में कुल रकबा 195.06 बीघा में वादी का नाम ओमाराम पुत्र मोहनराम । जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में ओमप्रकाश दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है। वादीन के ग्राम दुर्गापुरा के विवादित ख0न0, 419, 421 में कुल रकबा 195.06 बीघा में वादी का ओमाराम पुत्र मोहनराम स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018,
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प....बागावास.....

Scanned by CamScanner